न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, म.प्र.

निगरानी-3648/2018/मंदसौर/भू.२५ निगरानी क्रमांकः– /2018

अशोक पिता बालमुकन्द पाटीदार
उम्र–42 साल, व्यवसाय–कृषि
निवासी–ग्राम रिण्डा, तहसील व जिला मंदसौर म.प्र. ––––––निगरानीकर्ता

विरूद्ध

01. जमनालाल पिता कन्हैयालाल पाटीदार
उम्र–22 साल, व्यवसाय–कृषि
निवासी–ग्राम रिण्डा, तहसील व जिला मंदसौर
हाल मुकाम–पेट्रोल के सामने ग्राम डिगांव, तहसील व जिला मंदसौर

02. गजेन्द्र पिता सुरेश दशौरा,
उम्र–35 साल, व्यवसाय–कृषि
निवासी–ग्राम मिर्जापुरा, तहसील व जिला मंदसौर ––––विपक्षीगण

श्री ओ.पी. टेलर वकील द्वारा आज दि. 14-6-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 14-6-18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता विरूद्ध आदेश दिंनाक 07.04.2018 पारित श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय,मंदसौर प्रकरण कमांक–67/अ–6/2016–17</u>

माननीय महोदय।

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नवत् निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं:–

//प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य//

ओ.पी.टेलर 14-6-18 मिर्जापुर

यह कि, ग्राम रिण्डा, तहसील व जिला मंदसौर में निगरानीकर्ता व अन्य सूरजबाई, पूनमचन्द्र, कमला, रूकमणबाई, राधा, पुष्पा, रामकुंवर, अंगुरबाला, भगवती तथा विपक्षी कमांक 01 के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमियां सर्वे नंबर–1316, 1341/1/मिन–1, 1341/1/मिन–2, 1351, 1386/5, 1389/मिन–3 कुल सर्वे नंबर–06 कुल रकबा–2.852 हेक्टर तथा सर्वे नंबर–1304/2 पे., 1304/2/मिन–3 पे., 1340 पे. कुल नंबर–03 कुल रकबा–1.029 हेक्टर की भूमियां स्थित है। जिनका उक्त सभी के मध्य बंटवारा नहीं हुआ है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी संयुक्त रूप से सभी के नाम से दर्ज हैं, किन्तु विपक्षी कमांक 01 द्वारा राजस्व दस्तावेज में अपने नाम के आधार पर अन्य खातेदारों के पीठ पीछे बगैर सहमति, अनुमति अवैध रूप से अपने स्वत्व से अधिक भूमियां का बंटवारा कराये बगैर अवैध रूप से सर्वे नंबर 1316 की रकबा 0.356 सर्वे नंबर 1304/2/मिन 3 की रकबा 0.070, 1340/मिन–1 की 0.444 हेक्टर कुल सर्वे नंबर 3 कुल रकबा 0.870 हेक्टर भूमि का विकय पत्र विपक्षी कमांक 02 के पक्ष मे सपांदित कर दिया। जिस विकय पत्र को निगरानीकर्ता

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

576

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3648/2018/मंदसौर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओ.पी. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	